दिनांक 12.12.2022 को जय सिंह, भा0प्र0से0, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा निदेशालय तथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के पदाधिकारियों/कर्मियों के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– यथा संधारित।

कार्यवाही :–

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय तथा राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के कर्मियों द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। पूर्व की समीक्षात्मक बैठकों में दिये गए निदेशों के अनुपालन की स्थिति निम्नवत है:–

क्र0सं0	संबंधित कर्मी/कोषांग		बैठक में दिये गए निदेश	अनुपालन की स्थिति एवं निदेश
1.	श्री वीरेन्द्र कुमार, प्रभारी विशेष सर्वेक्षण कोषांग	i	मार्बल एवं तकनीकी मार्गदर्शिका	संशोधित तकनीकी मार्गदर्शिका एवं मार्बल के छपाई के संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित द्वारा बताया गया कि यह कार्य अभी भी लम्बित है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि दिनांक 14.12.2022 तक इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाय।
		ii	निदेशालय स्तर पर संचालित सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर मैनुअलों का संकलन	निदेशालय स्तर पर संचालित सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर मैनुअलों को Digitally Bind कर निदेशालय के वेबसाइट पर प्रकाशित करने के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस संबंध में नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दिनांक 14.12.2022 तक वेबसाइट पर Digitally Bind सॉफ्टवेयर मैनुअलों का Verification कर वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय। ।
		iii	प्रशिक्षण से संबंधित विपत्रों का GoI राशि से समायोजन से संबंधित प्रस्ताव	निदेशक द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित विपत्रों का भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली राशि से समायोजन संबंधित प्रस्ताव के संबंध में पृच्छा करने पर ज्ञात हुआ की यह कार्य अभी भी लम्बित है। श्री संतोष कुमार, लेखापाल द्वारा बताया गया कि श्री वीरेन्द्र कुमार, प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग द्वारा दिनांक 09.12.2022 की शाम को प्रशिक्षण से संबंधित विपत्रों के राशि अंकित करने संबंधी प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त प्रपत्र में प्रविष्टि का कार्य किया जा रहा है। उल्लेखनीय है लगभग एक वर्ष से आयोजित बैठकों में प्रशिक्षण से संबंधित विपत्रों की राशि के समायोजन से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जा रहा है।

				चूंकि एक वर्ष से अधिक समय से आयोजित विभिन्न साप्ताहिक बैठकों में दिये गये निदेश के अनुपालन अब नहीं किये जाने एवं इसमें लापरवाही बरतने के लिए श्री वीरेन्द्र कुमार, स0ब0प0 को अगले आदेश तक वेतन स्थगित करने एवं श्री संतोष कुमार, लेखापाल के 30 दिनों के मानदेय की कटौती करने का आदेश दिया गया। इसके लिए अलग से आदेश निर्गत करने का निदेश प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही यह आदेश दिया गया कि यह आदेश दिनांक–13.12.2022 को निर्गत किया जाए। श्री संतोष कुमार, लेखापाल द्वारा यह भी बताया गया कि प्रशिक्षण मद में हुए सभी तरह के व्यय भारत सरकार की राशि से की गयी है। इस संबंध में लेखापाल को निदेश दिया गया कि दिनांक 15.12.2022 तक जॉच कर तथा पूर्णतः संतुष्ट होकर प्रमाण–पत्र समर्पित किया जाए। श्री संतोष कुमार लेखापाल को प्रशिक्षण मद में हुए व्यय से संबंधित संचिका को अवलोकन कराने हेतु उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। यदि प्रशिक्षण मद में राज्य सरकार की कोई राशि व्यय नही की गयी हो तो इस कार्य को पूर्ण मानते हुए अगली बैठक में इस कंडिका को विलोपित कर दिया जाएगा एवं आगे से प्रशिक्षण मद में सभी व्यय DILRMP अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध राशि से की जाएगी। यह कथन असत्य पाये जाने पर संबंधित लेखापाल के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। श्री राकेश कुमार, सहायक को निदेश दिया गया कि प्रशिक्षण मद में राज्य सरकार के स्तर से हुए व्यय को निर्धारित प्रपत्र में अंकित कर दिनांक 15.12.2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 16.12.2022 तक निश्चित रूप से पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
2.	श्री राकेश कुमार, सहायक	i	मासिक विपत्र यथा – विद्युत, दूरभाष इत्यादि का भुगतान	पृच्छा करने पर बताया गया कि मासिक विपत्रों का भुगतान ससमय किया जा रहा है।
		ii	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया को कार्यकारी बनाने हेतु सेल के गठन से संबंधित पृच्छा करने पर आई0टी0 सेल के प्रभारी द्वारा बताया गया कि सर्वर/लैपटॉप/डेस्कटॉप का Specification आज उपलब्ध करा दिया गया है। इस कार्य को दिनांक 16.12.2022 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
		iii	सभी लम्बित आवंटन	लम्बित आवंटन के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि कोई भी आवंटन बकाया नहीं है। अंतिम आवंटन देने हेतु जिलों को प्रपत्र भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सभी लम्बित आवंटन का निष्पादन अगली बैठक के पूर्व करने का निदेश दिया गया।
		iv	सभी लम्बित भुगतान	बैठक में बताया गया कि कोई भी विपत्र लम्बित नहीं है। विपत्रों का भुगतान वित्त विभाग द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में बगैर विलम्ब के करना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

3.	श्री बब्लु कुमार, सहायक	i	बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट	पूर्व की बैठक में दिये गए निदेश के आलोक में कार्यकारिणी कमिटी की बैठक से संबंधित पृच्छा करने पर बताया गया कि इससे संबंधित प्रस्ताव संचिका में उपस्थापित कर दी जाएगी। निदेश दिया गया कि दिनांक 15.12.2022 तक लम्बित मुद्दों तथा एजेण्डा के साथ कार्यकारिणी समिति की बैठक की तिथि निर्धारित करने हेतु संचिका उपस्थापित करना सुनिश्चित किया जाए।
		ii	विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन	पृच्छा करने पर संबंधित द्वारा बताया गया कि प्रमाण–पत्र सत्यापन से संबंधित निदेशानूसार स्मार भेजा जा रहा है एवं जिलों के बन्दोबस्त कार्यालयों को भी प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु सहयोग हेतु पत्र प्रारूप संचिका में उपस्थापित की जा रही है। निदेश दिया गया कि वैसे सभी संस्थानों की सूची दिनांक 16.12.2022 तक उपस्थापित किया जाय जहाँ प्रमाण–पत्रों का सत्यापन लम्बित है। EXCEl सॉफ्टवेयर में Individual संविदा कर्मी की विवरणी संधारित करने एवं उक्त कर्मी के प्रमाण–पत्र को सत्यापन हेतु भेजे गए पत्रों की विवरणी भी तिथिवार अंकित करने के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि इसे तैयार कर लिया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि इसकी प्रिन्ट आउट निकालकर श्री अनिल कुमार सिंह, प्रभारी सहायक निदेशक के समक्ष अवलोकनार्थ दिनांक 15.12.2022 तक उपस्थापित करें। फर्जी पाये गए अभ्यर्थियों के संबंध में यदि कोई जानकारी प्राप्त होती है अथवा पत्र द्वारा जानकारी प्राप्त होती है तो बिना किसी लापरवाही के तत्काल प्रभाव से संचिका उपस्थापित कर ऐसे कर्मियों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
		iii	विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन	
		iv	विशेष सर्वेक्षण अमीन (अमानत) के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन	
4.	श्री दीपक कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक	i	विशेष सर्वेक्षण अमीन के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन	
		ii	विशेष सर्वेक्षण लिपिक के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन	

बैठक में उपलब्ध करायी गयी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की पदवार अद्यतन विवरणी :–

Post		Verification		Fake		Pending		Reminder to be sent
01	विशेष सर्वेक्षण अमीन	Sent	3457	Terminate	269	Fee Demand	45	1159
		Reply Received	2298	In Process	16	Others	NIL.	
		Verification OK	1968	**Total**	**285**	**Total**	**45**	

		Post		Verification		Fake		Pending		Reminder to be sent
		02	विशेष सर्वेक्षण लिपिक	Sent	364	Terminate	7	Fee Demand	21	107
				Reply Received	257	In Process	NIL	Others	NIL	
				Verification OK	229	**Total**	**7**	**Total**	**21**	
		03	विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	Sent	221	Terminate	1	Fee Demand	32	64
				Reply Received	157	In Process	NIL	College Court Matter	1	
				Verification OK	123	**Total**	**1**	**Total**	**33**	
		04	विशेष सर्वेक्षण कानूनगो	Sent	340	Terminate	11	Fee Demand	32	23
				Reply Received	317	In Process	—	Others	NIL	
				Verification OK	274	**Total**	**11**	**Total**	**32**	
		05	अमीन (अमानत)	Sent	487	Terminate	11	Fee Demand	NIL	20
				Reply Received	467	In Process	2	Original Document Demand	01	
				Verification OK	453	**Total**	**13**	**Total**	**01**	
5.	प्रशाखा पदाधिकारी	i.	प्रमाण–पत्रों के सत्यापन हेतु राशि की मांग से संबंधित मामले का निपटारा	इस संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित द्वारा बताया गया कि प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु राशि उपलब्ध कराने हेतु हेड खोलने की कार्रवाई का ली गयी है। निदेश दिया गया कि इसमें अनावश्यक विलम्ब नहीं करते हुए, प्राथमिकता के आधार पर, व्यक्तिगत रूचि लेते हुए, इस कार्य का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।						

<table>
<tr>
<td></td>
<td>प्रशाखा पदाधिकारी</td>
<td>ii</td>
<td>e-Office से संबंधित</td>
<td>
यह देखा जा रहा है कि e-Office के माध्यम से कम संख्या में संचिकाओं का उपस्थापन किया जा रहा है। न्यायालय/सूचना का अधिकार/कोर्ट केस/टेन्डर आदि को छोड़कर अन्य कोई भी संचिका भौतिक रूप से उपस्थापित नहीं की जाएगी। उक्त के इतर सभी संचिकाएँ e-Office के माध्यम से ही उपस्थापित करने का निदेश दिया। विगत सप्ताह e-Office के माध्यम से उपस्थापित संचिकाओं के संबंध में संबंधित सहायक/लिपिक द्वारा निम्न जानकारी उपलब्ध करायी गयी जो निम्नवत हैः–
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>नाम</th><th>e-Office के माध्यम से उपस्थापित संचिकाओं की कूल संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>श्री शशि रंजन प्रसाद</td><td>02</td></tr>
<tr><td>2</td><td>श्री राकेश कुमार</td><td>02</td></tr>
<tr><td>3</td><td>श्री बब्लु कुमार, सहायक</td><td>08</td></tr>
<tr><td>4</td><td>श्री विजय सम्राज्य</td><td>00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>श्री मुन्ना कुमार चौधरी</td><td>–</td></tr>
<tr><td>6</td><td>श्री सुमन जी कपूर, नि0व0लि0</td><td>–</td></tr>
<tr><td>7</td><td>श्री दीपक कुमार, नि0व0लि0</td><td>08</td></tr>
<tr><td>8</td><td>श्री संतोष कुमार, लेखापाल</td><td>01</td></tr>
</table>
सहायक निदेशक एवं प्रशाखा पदा0 भी साप्ताहिक बैठक में E-Office के माध्यम से कर्मियों द्वारा उपस्थापित संचिकाओं के संबंध में समेकित जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(क) बैठक में E-Office में SMS Alert की सुविधा को activate कराने के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि यह कार्य अभी भी लम्बित है। E-Office में SMS Alert की सुविधा को activate कराने हेतु दिनांक 14.12.2022 तक पत्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।
उक्त के अतिरिक्त यह भी निदेशित किया गया कि कार्यालय आते ही E-Office में रजिस्टर्ड कर्मी 10:00 बजे पूर्वाह्न से नियमित अंतराल पर E-Office में निश्चित रूप से लौगिन कर पत्र/संचिका का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।
(ख) बैठक में भौतिक रूप से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष साप्ताहिक रूप से उपस्थापित संचिकओं की संख्या की जानकारी अगली बैठक से देने का निदेश संबंधित को दिया गया।
</td>
</tr>
</table>

	प्रशाखा पदाधिकारी	iii	आरोप से संबंधित	(क) आरोप से संबंधित कुल संचिकाओं की विवरणी एवं लम्बित/निष्पादित आरोपों की विवरणी अगली बैठक में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। अनुशासनिक मामलों के निष्पादन में तीव्रता लाने का निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि गंभीर प्रकृति के लम्बित सभी आरोप पर आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 16.12.2022 तक निश्चित रूप से संचिका उपस्थापित किया जाए।
				(ख) निदेश दिया गया कि बन्दोबस्त पदाधिकारियों का मासिक समीक्षात्मक बैठक की तिथि निर्धारित करने एवं एजेण्डा तैयार करने हेतु संचिका 15.12.2022 तक उपस्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के विरूद्ध संबंधित जिलों से प्राप्त पत्रों के आलोक में कार्रवाई बन्दोबस्त पदाधिकारियों की बैठक के पूर्व निश्चित रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
				(ग) पुनः जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने में विलम्ब के संबंध में स्पष्ट निदेश दिया गया कि यदि एक सप्ताह से अधिक जांच प्रतिवेदन लम्बित रहता है तो उनके विरूद्ध भी कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया। संचालन पदाधिकारी के स्तर से यदि जांच प्रतिवेदन देने में विलम्ब होता है तो इसके लिए संचालन पदाधिकारी को स्मारित करने का निदेश दिया गया।
				(घ) पूर्व की बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में निदेशालय में कार्यरत कर्मियों का निजी संचिकाओं के उपस्थापन के संबंध में पृच्छा करने पर प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इसे ई–अफिस में उपस्थापित कर दिया गया है।
		iv	लॉगबुक जांच	लॉगबुक जांच के संबंध में पृच्छा करने पर प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यह कार्य अभी तक लम्बित है। इस संबंध में प्रशाखा पदाधिकारी को पुनः निदेश दिया गया कि साप्ताहिक रूप से सहायकों/लिपिकों के लॉगबुक की जांच की जाय एवं प्रतिवेदन समर्पित किया जाए। यह कार्य नियमित रूप से नहीं किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया।
		v	रोस्टर से संबंधित	इस संबंध में पृच्छा करने पर प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि पूर्व में भी संभवतः रोस्टर तैयार किया गया था जिसकी खोजबीन की जा रही है। यदि यह प्राप्त नहीं होती है तो पुनः नये सिरे से इसे तैयार किया जाएगा। निदेशालय के स्थायी पदों का रोस्टर माह जनवरी, 2023 तक तैयार करने का निदेश प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया। प्रशाखा पदाधिकारी अपनी देख–रेख में उक्त कार्य का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।
		vi	हेल्पलाईन	इस संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि अगली बैठक के पूर्व निश्चित रूप से हेल्पलाईन के संचालन हेतु Outsource का प्रस्ताव उपस्थापित कर दिया जाएगा।

		vii	तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मियों के वर्त्तमान पदस्थापन के अनुसार अद्यतन करना	इस संबंध में पृच्छा करने पर संबंधित द्वारा बताया गया कि R2R सॉफ्टवेयर में ऐसा प्रावधान कर दिया गया है जिससें जन्म तिथि के आधार पर 60 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार के नियमानुसार सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात् R2R में उक्त कर्मी स्वतः Disable हो जाय। इस हेतु आवश्यक जानकारी/प्रशिक्षण स्थापना शाखा को दिनांक 15.12.2022 तक उपलब्ध करा दी जाएगी। तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मियों के वर्त्तमान पदस्थापन के अनुसार R2R में अद्यतन करने का निदेश दिया गया।
	प्रशाखा पदाधिकारी	viii	विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के संबंध में।	(क) विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी के Travel Allowance एवं मानदेय बढ़ोत्तरी के संबंध में पृच्छा करने पर ज्ञात हुआ कि यह कार्य अभी भी लम्बित है। इस संबंध में प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दिनांक 16.12.2022 तक निश्चित रूप से प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। (ख) मातृत्व अवकाश एवं अर्जित अवकाश के लम्बित मामलों के संबंध में निदेश दिया गया कि विभाग से प्राप्त परामर्श/निदेश के आलोक में मामले का निष्पादन दिनांक 16.12.2022 तक कर लिया जाए। (ग) विशेष सर्वेक्षण कार्य में संलग्न सभी संविदा कर्मियों हेतु डिजिटल मोड में सर्विस बुक का निर्माण किया गया है। प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उक्त डिजिटल मोड के सर्विस बुक का अवलोकन एवं आवश्यक संशोधन दिनांक 15.12.2022 तक करना सुनिश्चित करें ताकि इसे लागू किया जा सके।
		ix	ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 से संबंधित	दिनांक 01.12.2022 को आयोजित समीक्षात्मक बैठक में स्पष्ट निदेश दिया गया था कि ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की बैठक की तिथि दिनांक 15.12.2022 को निर्धारित करते हुए जिलों को पत्र देना सुनिश्चित किया जाय। पृच्छा करने पर ज्ञात हुआ कि जिलों को कोई पत्र उक्त के संबंध में प्रेषित नहीं किया गया है। उक्त गंभीर लापरवाही एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने हेतु श्री शशि रंजन प्रसाद, सहायक से दिनांक 14.12.2022 तक स्पष्टीकरण निर्गत करने का निदेश प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया। उक्त के अतिरिक्त श्री प्रसाद से संबंधित सभी स्पष्टीकरण को समेकित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करने हुए आवश्यक प्रस्ताव दिनांक 15.12.2022 तक उपस्थापित करने का निदेश प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया। ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 से संबंधित बैठक दिनांक 20.12.2022 को निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

		x	कार्य आवंटन	अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 01.12.2022 को निर्गत नवीनतम कार्य आवंटन आदेश के आलोक में प्रभार के आदान–प्रदान के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि श्री शशि रंजन प्रसाद, सहायक / श्री बब्लु कुमार, सहायक / श्री दीपक कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक द्वारा प्रभारों के आदान प्रदान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि दिनांक 16.12.2022 तक उक्त से संबंधित विवरणी अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ उपस्थापित किया जाय। यह भी निदेश दिया गया कि निदेशक को प्रेषित प्रत्येक संचिकाओं में संबंधित सहायक द्वारा निश्चित रूप से टिप्पणी के अंतिम पारा में यह उल्लेख करेंगे कि ***"दिनांक 01.12.2022 को निर्गत कार्य आवंटन के अन्तर्गत यह कार्य मुझे आवंटित है"***।
6.	सहायक निदेशक	i	बन्दोबस्त कार्यालयों के समीक्षा हेतु ऑनलाईन प्रपत्र	यह कार्य भी बहुत दिनों से लम्बित है। इस संबंध में सहायक निदेशक को निदेश दिया गया कि पूर्व में तैयार किये गए ऑनलाईन प्रपत्रों की हार्ड कॉपी प्राप्त कर उसमें आवश्यक संशोधन करते हुए संचिका में उपस्थापित किया जाय।
7.	श्री अशोक कुमार शर्मा, स0ब0पदा0	i	न्यायालय से संबंधित।	(क) निदेश दिया गया कि CWJC, MJC, SLP एवं न्यायालयों से संबंधित मामलों को लम्बित नहीं रखा जाय। प्राथमिकता के आधार पर न्यायालय से संबंधित कार्य को निष्पादित कर दिया जाए।
8.	श्री विजय सम्राज्य, सहायक (बि0प्रो0मै0यू0)	i	LGD Code से संबंधित	LGD Code के संबंध में जिलों एवं पंचायत राज विभाग को लम्बित मामलों के संबंध में पत्र / स्मार देना सुनिश्चित किया जाय।
		ii	Geo-refrencing से संबंधित	पूर्व की बैठक में पुराने मानचित्रों को Geo refrence बनाने हेतु विशेष सर्वेक्षण कार्य में संलग्न एजेंसियों एवं अन्य संबंधित के साथ बैठक के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि इससे संबंधित प्रस्ताव दिनांक 16.12.2022 तक उपस्थापित कर दिया जाएगा।
	श्री विजय सम्राज्य, सहायक (बि0प्रो0मै0यू0)	i	GIS Setup से संबंधित	पूर्व की बैठक में निदेश के बावजूद मामला लम्बित है। State Head Quarter एवं District Head Quarter Core GIS हेतु प्रस्ताव संचिका में शीघ्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।
		ii	भारत सरकार से संबंधित।	भारत सरकार के स्तर पर लम्बित मामलें (Pending Issues) के संबंध में भी स्मार देने का निदेश दिया गया।
9.	श्री संतोष कुमार, लेखापाल (बि0प्रो0मै0यू0)	i	टैली सॉफ्टवेयर से संबंधित	पृच्छा करने पर संबंधित लेखापाल द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.12.2022 को टैली सॉफ्टवेयर में किये गए प्रविष्टि से संबंधित की जा रही कार्रवाई को प्रशाखा पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शित की जाएगी। पुनः प्रशाखा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे लेखापाल के टैली सॉफ्टवेयर में किये जा रहे कार्यो का अवलोकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

10.	श्री सुमन जी कपूर, नि0व0लि0	i	बेल्ट्रॉन से संबंधित	बेल्ट्रॉन में लम्बित मामलों (Pending Issues) के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
11.	श्री मो0 अली, प्रभारी, आई0टी0 कोषांग	i	लाईब्रेरी का संचालन	पृच्छा करने पर ज्ञात हुआ की पुस्तकों पर ISBN अंकित एवं Barcode Generate करने के संबंध में पृच्छा करने पर ज्ञात हुआ कि यह कार्य अभी भी लम्बित है जबकि पूर्व की बैठक में दिनांक 11. 12.2022 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया था। निदेश दिया गया कि दिनांक 16.12.2022 तक प्रत्येक दशा में इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाय।
		ii	आई0टी0 से संबंधित।	बैठक में निम्न अंकित लम्बित कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गयाः– (क) अंचल अभिलेख भवन पोर्टल को डिजीलॉकर से जोड़ने का कार्य, (ख) ऑनलाइन सेवाओं के APIs को API Setu पर प्रकाशित करने कर कार्य, (ग) ऑनलाइन सेवाओं को UMANG से इंटीग्रेट करना (घ) निदेशालय के वेबसाइट पर स्थापना संबंधी एक अलग सेक्शन जोड़ना जिसमें कर्मियों के वरीयता सूची एवं स्थापना से संबंधित अन्य मामलों से संबंधित पत्र/अधिसूचना/आदेश आदि उपलब्ध हो।
12.	श्री राजेश कुमार सिंह स0ब0प0	i	विज्ञापन से संबंधित।	निदेशालय के वेबसाइट पर विशेष सर्वेक्षण से संबंधित जनशिकायत पोर्टल में जनशिकायत प्राप्त करने से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित कराने का निदेश दिया गया।
13.	अन्यान्य	(a)	अंचल अभिलेख भवनों से सम्बन्धित सेवाओं के लिए सोसाइटी का गठन	पुनः सभी प्रकार के ऑनलाईन सेवाओं के संचालन एवं रख–रखाव जिस प्रकार मद्द निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा गठित सोसायटी के आधार पर किया जाता है उसी के आधार पर सोसाइटी गठन का प्रस्ताव उपस्थापित करने हेतु निदेश दिया गया।
		(b)	Common Service Centre (CSC) से संबंधित।	बैठक में पृच्छा करने पर ज्ञात हुआ कि यह कार्य अभी भी लम्बित हैं। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए शीघ्र संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।
		(c)	प्रशिक्षण से संबंधित	समीक्षात्मक बैठक में निदेश दिया गया कि निदेशालय में कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी बगैर अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के किसी भी प्रशिक्षण में भाग नहीं लेंगे। चूंकि प्रशिक्षण कार्य में संलग्न रहने के कारण निदेशालय का महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होता है।
		(d)	MIS से संबंधित	सीमा स्तंभो/Tri-Junction Pillar के अधिष्ठापन एवं उससे संबंधित आंकड़े को साप्ताहिक MIS में सम्मिलित करने का निदेश दिया गया।

2. समीक्षात्मक बैठक के पूर्व दिये गए निदेश के अनुपालन की समीक्षा अपने स्तर से प्रशाखा पदाधिकारी करेंगे एवं समीक्षा बैठक में अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में दिये गए निदेश का यदि Compliance नहीं हुआ है तो संबंधित पदा0/कर्मी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण अगली बैठक से पूर्व निश्चित रूप से उपस्थापित करेंगे।

3. उक्त के अतिरिक्त पूर्व की समीक्षात्मक बैठकों में दिये गए निदेश, जिसका अनुपालन नहीं किया जा सका है, को शीघ्र पूर्ण करने का निदेश एवं सभी कर्मियों को अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन के साथ आगामी बैठक में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

4. यदि कार्यवाही में अंकित कोई लम्बित कार्य किसी कर्मी विशेष से सम्बद्ध नहीं दर्शाया गया है तो सहायक निदेशक अपने स्तर से उक्त कार्य को यथा उचित सम्बन्धित कर्मी से टैग कर लिखित रूप से सूचित करेंगे तथा उक्त कर्मी अगली बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन देंगे।

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 204 /गो0 **पटना, दिनांक** 13–12–2022

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित कर्मी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय/राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक :– 204 /गो0 **पटना, दिनांक** 13–12–2022

प्रतिलिपि :– प्रभारी, आई0टी0 कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशालय के वेबसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

निदेशक